नईदुनिया

हर बरस त्रासदी, हर बार सबक अधूरा : नेपाल में प्रकृति का प्रकोप नहीं, व्यवस्था की चूक है

1993 की महाबाढ़ से 26 अगस्त की भयावहता तक इतिहास दोहरा रहा है

नेपाल में प्राकृतिक आपदा अब अपवाद नहीं, परंपरा बनती जा रही है। 1993 में आई सबसे बड़ी आपदा ने देश को हिलाकर रख दिया था। उसके बाद 2008, 2012, 2014, 2017, 2019, 2024 और अब 26 अगस्त 2025 की त्रासदी ने साबित कर दिया है कि प्रकृति से खिलवाड़ और सरकारों की अनदेखी लगातार इस हिमालयी देश को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रही है। हर बार बारिश आती है, पहाड़ दरकते हैं, नदियां उफान पर आती हैं और गांव के गांव बह जाते हैं। हर बार राहत के वादे होते हैं, जांच समितियां बनती हैं, लेकिन अगली बरसात में फिर वही मंजर सामने होता है। आखिर नेपाल में यह चक्र क्यों नहीं टूट रहा है?

1993 का काला साल, जब देश थम गया था : 1993 की बाढ़ को नेपाल आज भी नहीं भूला है। उस साल मध्य नेपाल में लगातार मूसलाधार बारिश ने नारायणी, बागमती और कोसी नदियों को विकराल बना दिया था। सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, हजारों घर बह गए थे, पुल टूट गए थे और सड़कें खत्म हो गई थीं। काठमांडू घाटी का संपर्क तराई से कई दिनों तक कटा रहा था। विशेषज्ञों का मानना था कि यह सौ साल की सबसे बड़ी आपदा थी। सरकार ने उस समय कहा था कि अब ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस योजना बनेगी, लेकिन वह योजना फाइलों में ही सिमट कर रह गई। हर आपदा ने नया घाव दिया।

2008 में कोसी बैराज टूटने से पूर्वी नेपाल और बिहार में भारी तबाही हुई थी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे। 2012 में सेती नदी में अचानक आई बाढ़ ने पोखरा के पास कई बस्तियां उजाड़ दी थीं। 2014 में सिंधुपालचोक में भूस्खलन ने पूरी पहाड़ी को ही निगल लिया था। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए थे। 2017 में तराई में आई बाढ़ ने नेपाल के लगभग 80 प्रतिशत जिलों को प्रभावित किया था। 35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। 2019 में बारा और पर्सा में आए आंधी-तूफान ने सैकड़ों घरों को तिनके की तरह उड़ा दिया था। 2024 में फिर मेलम्ची और हेलम्बू क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन ने वही पुरानी यादें ताजा कर दी थीं।

26 अगस्त की भयावहता ने सबको हिलाया : और अब 26 अगस्त की घटना ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रसुवा और तिब्बत सीमा के पास भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल और चीन को जोड़ने वाला ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बहा दिया। इस दौरान 9 लोगों की मौत और 24 लोगों के लापता होने की खबर है। चीन के 11 नागरिकों समेत 28 लोग अभी भी संपर्क से बाहर हैं। 33 से अधिक लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार, तिब्बत में भारी बारिश के बाद ल्हासा नदी का जलस्तर बढ़ा और उसका असर नेपाल में देखने को मिला। इससे पहले 1980 में कोसी नदी के विकराल रूप ने निचले तराई क्षेत्रों में

बड़े पैमाने पर कटान और जलभराव की स्थिति पैदा कर दी थी। यही नहीं, 1985 और 1987 के दौरान सुनकोशी बेसिन क्षेत्र में हुई भीषण मानसूनी बारिश और भूस्खलन के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया था।

प्रकृति से खिलवाड़ है सबसे बड़ी वजह : नेपाल में बार-बार आपदा क्यों आ रही है? पहला कारण है प्रकृति से बेतहाशा छेड़छाड़। हिमालय की गोद में बसे इस देश में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। सड़कों के निर्माण के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। नदियों के किनारे अतिक्रमण बढ़ रहा है। बालू और गिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। जब पहाड़ नंगे होंगे तो मिट्टी कैसे रुकेगी? जब नदियों का रास्ता रोका जाएगा तो बाढ़ कैसे नहीं आएगी? वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा।

जलवायु परिवर्तन और कमजोर तैयारी : जलवायु परिवर्तन नेपाल का तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ा रहा है। इससे कम समय में अधिक बारिश हो रही है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। 1993 में भी यही हुआ था और 26 अगस्त को भी यही पैटर्न दिखा। तीसरा कारण है चेतावनी प्रणाली की विफलता। नेपाल में मौसम विभाग और जल विज्ञान विभाग के पास आधुनिक रडार और सेंसर नहीं हैं। चीन की ओर से पानी छोड़ने या बाढ़ की जानकारी समय पर नहीं मिलती। 26 अगस्त की घटना में भी चीन ने 45 मिनट की देरी से सूचना दी थी, वह भी तब जब बाढ़ नेपाल में प्रवेश कर चुकी थी।

सरकारों की लापरवाही और नीति का अभाव : सरकारों की इच्छाशक्ति की कमी भी बड़ी समस्या है। नेपाल में हर कुछ साल में सरकार बदल जाती है। हर नई सरकार पुरानी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। आपदा प्रबंधन के लिए स्थायी नीति नहीं है। बजट का बड़ा हिस्सा राहत में खर्च होता है, रोकथाम में नहीं। नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की योजना अधूरी है। भवन निर्माण संहिता का पालन नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बिना वैज्ञानिक अध्ययन के घर बना दिए जाते हैं।

अब क्या करने की जरूरत है :

नेपाल को इस चक्र को तोड़ना होगा। सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण पर रोक लगानी होगी। वृक्षारोपण को अभियान बनाना होगा। नदियों के प्राकृतिक बहाव को बहाल करना होगा। दूसरा, आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना होगा। हर प्रमुख नदी पर जलस्तर मापक यंत्र और सायरन लगाने होंगे। चीन और भारत के साथ जल सूचना साझा करने के समझौते को मजबूत करना होगा। तीसरा, आपदा प्रबंधन को केवल राहत एजेंसी नहीं, बल्कि रोकथाम एजेंसी बनाना होगा। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना होगा। गांव-गांव में स्वयंसेवकों की टीम बनानी होगी।

नेपाल प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत, लेकिन आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील देश है। यहां हर साल मानसून तबाही लेकर आता है। 1993 से 2025 तक का इतिहास यही बताता है कि यदि अब भी नहीं चेते तो अगली आपदा और भी भयावह होगी। 26 अगस्त की भयावहता ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करो और वैज्ञानिक सोच के साथ विकास करो। तभी नेपाल बार-बार की त्रासदी से बच सकेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

परिसीमन पर सियासी घमासान, विशेष सत्र से खुलेगा नया मोर्चा

किरेन रिजिजू के बयान से गर्माई दिल्ली कांग्रेस ने पीएम से मांगा जवाब

केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर परिसीमन के मुद्दे पर बड़ी टकराहट शुरू हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा एक टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयान ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। उनके बयान के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंभीरता दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है।

अपनी चिट्ठी में खड़गे ने मांग की है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या और राज्यों के आधार पर सीटों के आवंटन को अगले 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया जाए। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2029 के अगले लोकसभा चुनावों से ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की है। पीएम मोदी के नाम लिखी इस चिट्ठी में खड़गे ने कहा है कि सरकार परिसीमन को लेकर जो भी प्रस्ताव तैयार कर रही है, उस पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

खड़गे का कहना है कि प्रस्तावित मसौदे को संसद में लाने से पहले सभी विपक्षी दलों को उसका अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। खड़गे ने अपने पत्र में 16 जुलाई 2026 को लिखे गए अपने पिछले पत्र का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी।

विशेष सत्र की अटकलें तेज, मानसून सत्र के सत्रावसान में देरी क्यों? उन्होंने कहा कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए एक टीवी इंटरव्यू के बाद यह साफ होता जा रहा है कि सरकार परिसीमन से जुड़ा नया विधेयक लाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। खड़गे के अनुसार, शायद यही कारण है कि संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान करने में लगातार देरी की जा रही है।

सरकार अगस्त के आखिर या सितंबर की शुरुआत में विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र में परिसीमन से जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण जरूरी है, ताकि अधिक आबादी वाले राज्यों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन दक्षिण के राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।

17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था। 528 सांसदों में से 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ मतदान किया था, जिससे यह विधेयक गिर गया था। हालांकि, पहले की तुलना में संसद में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। सबसे पहले पंजाब से आने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सात सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद लोकसभा के 20 सांसदों ने अपना अलग गुट बना लिया है और सरकार को डीएमके और शरद पवार की पार्टी से भी इस मुद्दे पर समर्थन मिलने की उम्मीद है।

दक्षिण बनाम उत्तर की नई बहस परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संतुलन का भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण की सीटों का अनुपात घटेगा। इसी को लेकर दक्षिण के दल चिंतित हैं। डीएमके के नेता एम. के. स्टालिन पहले ही कह चुके हैं कि यह दक्षिण के साथ अन्याय होगा।

खड़गे ने अपनी चिट्ठी में महिला आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है। संसद ने महिला आरक्षण विधेयक तो पास कर दिया है, लेकिन वह परिसीमन के बाद ही लागू होगा। कांग्रेस की मांग है कि इसे 2029 से ही लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को जल्द प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद ही सीटों की पहचान हो पाएगी कि कौन-सी सीट महिला के लिए आरक्षित होगी।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन जैसा बड़ा फैसला अकेले सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि यह देश के संघीय ढांचे से जुड़ा है। इसमें सभी राज्यों की राय लेना जरूरी है। यदि सरकार बिना चर्चा के विधेयक लाती है तो इसका विरोध होगा। खड़गे ने कहा कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 25 साल के लिए परिसीमन को फ्रीज किया था, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। उसी तरह अब भी 25 साल के लिए फ्रीज जारी रहना चाहिए।

अब सबकी नजर प्रधानमंत्री के जवाब पर है। यदि सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो यह सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष पूरी ताकत से सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ बहुमत का गणित साधने में लगी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं। यह तय है कि परिसीमन विधेयक भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

बिना अभिभावकों की मर्जी के बच्चों की जानकारी जमा करती मेटा

डॉ. विश्वास तिवारी

आजकल के बच्चे जिस तरह से मोबाइल के जरिए आभासी दुनिया में गुम हो गए है, वहां से उनको निकालना सभी अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस सोशल मीडिया के कारण वह अपने परिवार से, समाज से और अपने दोस्तों से भी दूर हो रहे है। सोचने वाली बात यह है कि उन्हें यह आदत लगी है या कंपनियों ने लगाई है। इसी मुद्दे को लेकर आभासी दुनिया को उपलब्ध कराने वाली कंपनी मेटा सवालों के घेरे में है। बच्चों पर इसका घातक प्रभाव को लेकर अभिभावक, शिक्षक सभी चिंता जता रहे है। अब बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे के लिए, बच्चों को यौन अपराध और हिंसा के ऐसे वीडियो दिखा रही है जो उनके बाल मन पर दुष्प्रभाव डाल रही है।

2004 में स्थापित मार्क जुकरबर्ग की कंपनी 'मेटा' इस समय मुसीबत के घेरे में है। यह कंपनी कई सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्ट्राग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, थ्रेड्स सर्विसों का संचालन करती है। इस कंपनी पर माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के खिलाफ अमेरिका में एक ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हो गया है। कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में चल रहे इस मामले में अमेरिका के 20 से अधिक राज्यों ने मेटा प्लेटफार्मस पर बच्चों की गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन और सोशल मीडिया की लत लगाने का आरोप लगाया है। राज्यों के आर्टानी जनरल ने मेटा पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाने और इसे चलाने के बुनियादी तरीकों में बदलाव करने की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि मेटा ने चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कड़े संघीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे उनकी लोकेशन, ई मेल, ब्राउजिंग पैर्टन गुप्त रूप से एकत्रित किए है। आरोप यह है कि इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में 10 से 12 साल के बच्चे सक्रिय थे। उनके माता पिता को सूचित किए बिना वह उनकी सर्च हिस्ट्री और व्यक्तिगत प्राथमिकता ट्रेक करता रहा।

याचिका में यह कहा गया कि मेटा ने जानबूझ कर 'इनाफिनिट स्क्रॉल' (लगातार नीचे स्क्राल होना) और लाइक्स जैसे फीचर्स डिजाइन किए है, ताकि बच्चों को लगातार स्क्रीन से चिपकाएं रखे और उनसे ज्यादा से ज्यादा डेटा निचोड़ा जा सके। इस अवैध डेटा ट्रेकिंग की वजह से उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार उन्हें विज्ञापन और हानिकारक सामग्रियां परोसी गई जिसके कारण उनमें डिप्रेशन, घबराहट और नींद में कमी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ी है। इस विवाद पर मेटा की आधिकारिक प्रतिक्रिया में कंपनी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कंपनी का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्होंने 50 से अधिक टूल्स और पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेश किए है। कंपनी ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर सही उम्र का सत्यापन करना ऐसे उद्योग में विश्वव्यापी चुनौती है और इसके लिए उसे अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

आजकल के बच्चे जिस तरह से मोबाइल के जरिए आभासी दुनिया में गुम हो गए है, वहां से उनको निकालना सभी अभिभावकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस सोशल मीडिया के कारण वह अपने परिवार से, समाज से और अपने दोस्तों से भी दूर हो रहे है। सोचने वाली बात यह है कि उन्हें यह आदत लगी है या कंपनियों ने लगाई है। इसी मुद्दे को लेकर आभासी दुनिया को उपलब्ध कराने वाली कंपनी मेटा सवालों के घेरे में है। बच्चों पर इसका घातक प्रभाव को लेकर अभिभावक, शिक्षक सभी चिंता जता रहे है। अब बच्चे समय से पहले परिपक्व हो रहे है। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे के लिए, बच्चों को यौन अपराध और हिंसा के ऐसे वीडियो दिखा रही है जो उनके बाल मन पर दुष्प्रभाव डाल रही है। अमेरिका सहित कुछ और अन्य देशों में बच्चों के स्कूल में गोलियां चलाते हुए वीडियो वायरल हो रहे है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु डिजिटल दुनिया को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। फ्रांस और आस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने सोशल मीडिया का उपयोग करने को लेकर बच्चों की उम्र को लेकर एक समय सीमा तय कर दी है।

इसी तरह न्यूजीलैंड सरकार भी बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश करने वाली है। इस विधेयक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। अगर कोई भी सोशल मीडिया कंपनी इन नियमों को नहीं मानती है, तो उस पर उसकी कुल कमाई का दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक (फेशियल रिगनिशन), डिजिटल पहचान दस्तावेज और अकाउंट की मौजूदा जानकारी का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यूजर द्वारा खुद बताई उम्र को मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मलेशिया में भी यह प्रतिबंध लागू हो चुका है और यूनाइटेड किंगडम में भी बच्चों में सोशल मीडिया को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया चल रही है।

भारत सरकार ने भी 'मेटा' के अधिकारियों को तलब कर विरोध जताया था कि उसके एक प्लेटफार्म पर यौन शोषण से जुड़े विज्ञापन दिखाकर भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हम खबर देखते रहते है कि अगर बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाता है तो वह आक्रामक हो जाते है और कई बार आत्मघाती कदम उठाने से भी पीछे नहीं रहते है। यह एक लत है जिसके लिए माता-पिता मनोचिकित्सक की मदद भी ले रहे है।

कुछ लोग मुनाफे के लिए ऐसे वीडियों बना रहे है जो भारतीय संस्कृति में पवित्र माने जाने वाले पारिवारिक रिश्तों, गुरू शिष्य संबंधों और डॉक्टर मरीज के रिश्तों को बदनाम कर रहे है। इसी वजह से अदालत ने इंस्टाग्राम की मातृ संस्था मेटा पर 5,390 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मेटा की कमाई के हिसाब से ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई इससे कई गुना ज्यादा है। कोर्ट ने लगाए गए जुर्माने का एक भाग की राशि पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर देने के आदेश भी दिए है। अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को सामाजिक जवाबदेही के लिए बाध्य किया जाए और यह कानून विकसित देश और विकासशील और गरीब देश के लिए एक जैसा ही हो। सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री बच्चों को बचपन से ही अपराधी बना सकती है जो कि देश के भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

डिजाइन से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर

किस्मत खेत से बाजार तक अब दिखेगा नया लुक, लोकल बनेगा ग्लोबल

भोपाल में तैयार हो रहा है नया मास्टर प्लान। हर उत्पाद को मिलेगा ब्रांड का ताज। मध्य प्रदेश अब सिर्फ अनाज और कला का प्रदेश नहीं, बल्कि डिजाइन का हब बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है, जो राज्य की पूरी तस्वीर बदल देगा। जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सरकार एक नई और क्रांतिकारी डिजाइन पॉलिसी लाने की तैयारी में जुट गई है। इस पॉलिसी का मकसद है राज्य के हर क्षेत्र को नया रूप देना। चाहे वह खेत में चलने वाला ट्रैक्टर हो या आदिवासी महिला के हाथ से बनी चंदेरी साड़ी, अब सब कुछ नए डिजाइन में दुनिया के सामने आएगा।

अटल सुशासन संस्थान और एनआईडी भोपाल ने मिलाया हाथ। इस पूरी नीति को बनाने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) भोपाल को दी गई है। दोनों संस्थान मिलकर एक ऐसा रोडमैप तैयार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश को देश का पहला डिजाइन ड्रिवन स्टेट बना देगा। अभी तक केंद्र सरकार के पास तो डिजाइन पॉलिसी है, लेकिन किसी भी बड़े राज्य के पास अपनी खुद की पॉलिसी नहीं है। मध्य प्रदेश इस कमी को पूरा कर देश में मिसाल कायम करना चाहता है।

इस नीति में क्या होगा खास, जो आज तक नहीं हुआ? खेती को मिलेगी नई ताकत। इस नीति के तहत किसानों के औजारों को पूरी तरह से बदला जाएगा। ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, स्प्रेयर जैसे उपकरणों को किसानों की जरूरत के हिसाब से हल्का, मजबूत और सस्ता बनाया जाएगा, ताकि छोटे किसान भी आधुनिक खेती कर सकें और उनकी पैदावार दोगुनी हो सके।

कारीगरों की चमकेगी किस्मत। मध्य प्रदेश बाग प्रिंट, गोंड पेंटिंग, भील आर्ट, चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग न होने से कारीगरों को सही दाम नहीं मिल पाता। नई पॉलिसी में इन उत्पादों की पैकेजिंग, लुक और

ब्रांडिंग को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, ताकि विदेशी बाजार में भी ये उत्पाद ऊंचे दाम पर बिक सकें। डिजाइन चोरी पर लगेगा ताला। सबसे बड़ी समस्या है डिजाइनों की चोरी। कई बार बड़े व्यापारी स्थानीय कारीगरों के डिजाइन चुराकर बाजार में बेच देते हैं। नई नीति में पेटेंट और कानूनी सुरक्षा का प्रावधान होगा, जिससे कारीगरों की मेहनत का हक सिर्फ उन्हें ही मिलेगा और कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकेगा। सरकारी दफ्तर भी दिखेंगे कॉर्पोरेट जैसे। सिर्फ उत्पाद ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल, स्कूल और पर्यटन स्थलों को भी नए डिजाइन में सजाया जाएगा, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा और अच्छा अनुभव मिल सके। आज का जमाना सिर्फ चीज बनाने का नहीं, बल्कि उसे सुंदर और यूजर फ्रेंडली बनाने का है। यदि कोई उत्पाद दिखने में अच्छा नहीं होगा तो बाजार में नहीं बिकेगा। वैश्विक बाजार में टिकने के लिए लुक और पैकेजिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हमारे उत्पादों का डिजाइन इंटरनेशनल लेवल का नहीं होगा, तब तक हम चीन और यूरोप के उत्पादों से मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए यह नीति केवल फैशन नहीं, बल्कि आर्थिक जरूरत है। बड़े फायदे जो बदल देंगे प्रदेश की तस्वीर। सोच और विजन को नई दिशा मिलेगी। बिना नीति के काम बिखरा रहता है। नीति बनने से सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थान एक ही मंच पर आएंगे। दूसरा फायदा होगा समस्याओं का आसान समाधान। डिजाइन थिंकिंग से किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर उसका हल निकाला जाएगा। तीसरा फायदा होगा आर्थिक विकास और रोजगार। उत्पादों की मांग देश और विदेश में बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। चौथा फायदा होगा संसाधनों का सही इस्तेमाल। समय और धन दोनों की बचत होगी।

लोकल से ग्लोबल तक का सफर होगा आसान। मुख्यमंत्री का सपना है कि मध्य प्रदेश का हर गांव आत्मनिर्भर बने और हर उत्पाद ग्लोबल बने। यह डिजाइन पॉलिसी उसी सपने को पूरा करने की सीढ़ी है। जब एक छोटे से गांव में बना उत्पाद विदेश में बिकेगा तो न केवल कारीगर की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। यह नीति लोकल को वोकल बनाने के साथ-साथ ग्लोबल बनाने का सबसे बड़ा मंत्र साबित होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)